न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—जीसीएमएस नं. 2022/180

01. गणेशनारायण मीना पुत्र स्व. श्री भगवाना उर्फ भगवान सहाय मीना,
02. फुलचन्द उर्फ रामफुल मीना पुत्र स्व. श्री भगवाना उर्फ भगवान सहाय मीना,
03. प्रेमनारायण मीना पुत्र स्व. श्री जगदीश नारायण मीना पौत्र स्व. श्री भगवाना उर्फ भगवान सहाय मीना,
04. शंकर मीना पुत्र स्व. श्री जगदीश नारायण मीना पौत्र स्व. श्री भगवान उर्फ भगवान सहाय मीना, समस्त जाति मीना निवासीयान ग्राम मीनावाला सरकारी स्कूल के पास सिरसी रोड़, जयपुर राजस्थान।

——अपीलान्ट्स

बनाम

01. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बिड़ला मंदिर के सामने जयपुर जरिये सचिव,
02. ओमप्रकाश बाघला पुत्र श्री जयलाल बाघला,
03. संदीप टांक पुत्र श्री सत्यपाल टांक,
04. योगेश शर्मा पुत्र श्री महेश शर्मा,
05. राजेन्द्र सिंह सुरपुरा पुत्र श्री मनोहरसिंह, समस्त निवासीगण जयपुर राजस्थान हाल निवासी 187, ए—बी निमार्ण नगर जयपुर राजस्थान।
06. रामकरण पुत्र कालू जाति मीना,
07. फैल्याराम पुत्र कालू, जाति मीना,
08. कमली देवी पत्नी हनुमान,
09. मुकेश पुत्र हनुमान, जाति मीना,
10. अंशुला उर्फ अश्वनी पुत्री हनुमान, नाबालिग जरिये संरक्षिका माता कमली देवी.
11. गुन्नू पुत्री हनुमान नाबालिंग जरिये संरक्षिका माता कमलीदेवी, समस्त जाति मीना, निवासी 21 नम्बर बस स्टेण्ड पांच्यावाला सिरसी रोड़, जयपुर राजस्थान।
12. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर, राजस्थान।

——रेस्पोडेन्ट्स

13. गोपी देवी पत्नी श्री जगदीशनारायण, जाति मीना निवासी ग्राम मीनावाला सरकारी स्कूल के पास सिरसी रोड़ जयपुर, राजस्थान।
14. कैलाश चन्द मीना पुत्र श्री जगदीशनारायण मीना निवासी ग्राम मीनावाला, सरकारी स्कूल के पास सिरसी रोड़, जयपुर राजस्थान।

——तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः—

1. श्री हजारी लाल शर्मा एडवोकेट, एडवोकेट अपीलार्थी संख्या 1, 2 व 4 की ओर से
2. श्री रामगोपाल एडवोकेट अपीलार्थी संख्या 3 की ओर से
3. श्री हीरालाल सैनी एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से
4. श्री लोकेश शर्मा एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 की ओर से
5. श्री भगवान सहाय शर्मा एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की ओर से

P.T.O.

निर्णय

दिनांक: 21.09.2022

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपायुक्त जोन पीआरएन–उत्तर प्रथम जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.02.2022 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 90–ए(9) के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि राजस्व ग्राम लावपुरा उर्फ मीनावाला तहसील जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 356 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 356/500 रकबा 1 बिस्वा में कालूराम पुत्र श्योबक्श का हिस्सा चारआना, रामचन्द्र पुत्र श्योबक्श का हिस्सा चारआरा, भगवाना उर्फ भगवान सहाय का हिस्सा चारआना, लाद्या व लाल्या का हिस्सा चारआना था तथा खसरा नम्बर 233 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 345 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 355 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा व अन्य भूमि के 1/2 हिस्से के खातेदार रामचन्द्र पुत्र श्योबक्श व हिस्सा 1/2 के खातेदार कालू पुत्र श्योबक्श राजस्व रिकार्ड में दर्ज व अंकित थे एवं उक्त खसरों की भूमि में कालू पुत्र श्योबक्श द्वारा अपना हिस्सा सम्पूर्ण अर्थात अपने हिस्से के सम्पूर्ण रकबा 5 बीघा 1/2 आधा बिस्वा को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.08.1966 को अपीलार्थी संख्या 1 व 2 के पिताजी व अपीलार्थी संख्या 3 व 4 एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट के दादाजी/ससुरजी भगवाना उर्फ भगवान सहाय पुत्र दूला को विक्रय कर मौके पर विक्रयशुदा सम्पूर्ण भूमि का भौतिक कब्जा वास्तविक रूप से उक्त क्रेता को वरवक्त विक्रय पत्र सुपुर्द कर दिया था जो विक्रय पत्र दिनांक 10.08.1966 को रजिस्टर्ड क्रमांक 2099 वर पंजीबद्ध किया गया था। चूँकि खसरा नम्बर 355 का रकबा तो विक्रय पत्र में अंकित हो गया लेकिन खसरा नम्बर सहवन से टाईप होने से रह जाने के कारण जिसकी घोषणा का वाद व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा उनवानी गणेशनारायण मीना व अन्य बनाम रामकरण व अन्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जयपुर में विचाराधीन है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 ने विधि विरूद्ध व नुमाईशी एवं फर्जी एवं शून्य इकरारनामा के आधार पर दिनांक 02.09.2021 को अधीनथ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया कि योजना भूमि खसरा नम्बर 355 हिस्सा 1/2 जो हमने रामकरण, हनुमान पुत्र कालू, जाति मीना से जरिये कथाकथित इकरानामा दिनांक 10.07.2005 को क्रय किया है का आवंटन करने की कृपा करें जबकि अपीलार्थीगण व तरतीबी रेस्पोडेन्ट उक्त खसरा नम्बर 355 के 1/2 हिस्से के बहैसियत खातेदार, मालिक, स्वामी अधिकारी व मौके पर पूर्व हकअधिकारी द्वारा क्रय की दिनांक से पूर्व में हकपूर्वाधिकारी व वर्तमान मे स्वयं निरन्तर काबिज काश्तकार व्यक्ति है, उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एकतरफा में मौके पर

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

कब्जे की जॉच किये बिना फर्जी शून्य वोइई एब इनिशियों इकरानामा के आधार पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.02.2022 पारित किया गया जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 355 शुरू से ही अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के नाम राजस्व रिकार्ड व कब्जे काश्त में रही है, अधीनस्थ न्यायालय ने जिस प्रभावशून्य इकरारनामा के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह नुमाईशी व प्रभावशून्य इकरारनामा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा स्वर्ण जाति अर्थात गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के नाम है जो शुरू से ही शून्य वाईड एब इनिशियों व प्रभावहीन है जिसके आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 को किसी भी प्रकार से अधिकार प्राप्त नही होते है किन्तु फिर अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड व मौके की जॉच किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 के द्वारा जो आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है उस आवेदन के साथ तथाकथित इकरानामा अपने पक्ष में दिनांक 10.07.2005 में होना बता रहे है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दैनिक समाचार पत्र मे आम सूचना दी गई है वह तथाकथित इकरानामा दिनांक 10.08.2015 के बाबत दी गई है तथा पत्रावली में तथाकथित इकरारनामा प्रस्तुत किया गया है वह दिनांक 10.08.2005 का प्रस्तुत किया गया है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि तथाकथित इकरारनामा शून्य प्रभावहीन व फर्जी तरीके से तैयार किया हुआ है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का कतई कोई अवलोकन नही कर मनमर्जी से मनमाना अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.02.2022 पारित किया है जो विधि विधान एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से शुरू से ही निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.02.2022 अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में बिना विधिक सूचना के व सुनवाई का अवसर दिये बिना एकतरफा में पारित किया गया है जिसकी जानकारी अपीलार्थीगण को पूर्व में नही थी, सर्वप्रथम कुछ अजनबी व्यक्ति अपीलार्थीगण कालू पुत्र श्योबक्श से खरीदशुदा बहैसियत खातेदारी स्वामित्व अधिकार एवं मालिकाना हक एवं कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 355 पर दिनांक 02.03.2022 को आये तथा तब अपीलार्थीगण गेहूँ की फसल की कटाई कर रहे थे और अपीलार्थीगण को कहा की गेहूँ की फसल काटने के बाद इस जमीन का कब्जा हम लेंगे क्योंकि हमने जयपुर विकास प्राधिकरण से हमारे नाम पट्टे लेने का आदेश करवा लिया है तथा जाते–जाते धमकी दी की कि कब्जा नही हटाया तो हम जबरन लाठी के बल पर जल्द ही कब्जा प्राप्त करेंगे तब अपीलार्थीगण ने सूचना के अधिकार के तहत जयपुर विकास प्राधिकरण में दिनांक 03.03.2022 को आवेदन पेश करने पर दिनांक 11.03.2022 को पत्रावली व आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि मिली जिस पर अपीलार्थीगण को उक्त अपीलाधीन आदेश

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

दिनांक 01.02.2002 की जानकारी दिनांक 11.03.2022 को होने पर अन्दर मियाद अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफी दिये जाने बाबत अपीलार्थीगण द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से न्यायहित में स्वीकार फरमाया जावें एवं अपील व लिखित बहस के समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपायुक्त जोन पीआरएन–उत्तर प्रथम जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.02.2022 को खारिज फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का विधिक परीक्षण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.02.2022 पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 द्वारा ग्राम मीनावाला के खसरा नम्बर 355 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा दिनांक 10.07.2005 को जरिये इकरारनामा से रामकरण पुत्र कालू एवं हनुमान पुत्र श्री कालू से भूमि की कीमत अदा कर क्रय की है जिस भूमि के सम्बन्ध में अपीलार्थीगण का कोई सम्बन्ध या सरोकार नही है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 की उक्त भूमि अनुमोदित योजना वैशाली सिटी के समीप होने से वैशाली सिटी में सम्मिलित किया जाकर आवंटन करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 6 द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आपत्तिकर्ता को सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् एवं आपत्तिकर्ता द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 को पूर्व में किये गये बैचान की भूमि बाबत अपनी अनापत्ति दिये जाने पर समस्त विधिक कार्यवाही करते हुए ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.02.2022 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 ने कथन किया है कि उक्त वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अपीलार्थीगण का कोई सम्बन्ध में सरोकार नही है केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 को हैरान व परेशान करने के लिये न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ने कथन किया है कि उक्त वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 6 व 8 लगायत 11 के हकपूर्वाअधिकारी की खातेदारी एवं काश्तकारी की भूमि है जिसे रेस्पोडेन्ट संख्या 6 व रेस्पोडेन्ट संख्या 8 लगायत 11 के हकपूर्वाधिकारी द्वारा उक्त भूमि की कीमत प्राप्त रेस्पोडेन्ट

P.T.O.

संख्या 2 लगायत 5 को जरिये इकरारनामा बैचान किया गया है जिस बाबत अपीलार्थीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है इसलिये अपील अपीलार्थीगण खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मूल रूप से खसरा नम्बर 355 का विवाद है जिसे अपीलार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 6 लगायत 11 के पूर्वज द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद कर अपना हक हकूक बता रहे है जबकि अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई भी साक्ष्य सबूत या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किया गया है जिससे उक्त खसरा नम्बर 355 को अपीलार्थीगण द्वारा क्रय किया जाना साबित होता हो तथा दूसरी ओर उक्त वादग्रस्त आराजी के खातेदार के वारिस रेस्पोडेन्ट संख्या 6 स्वयं उक्त वादग्रस्त आराजी का बैचान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 को किया जाना स्वीकार कर रहे है। ऐसे स्थिति में वर्तमान में उक्त वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 355 के सम्बन्ध में किसी प्रकार के उज्रात करने का अधिकार कानूनन अपीलार्थीगण को नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी बाबत आपत्तियॉ मांगकर एवं प्राप्त आपत्तियॉ का विधिक तौर पर निस्तारणकरने के पश्चात् विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.02.2022 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थीगण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपायुक्त जोन पीआरएन–उत्तर जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.02.2022 को यथावत रखा जाता है।

(विकास एस.भाले)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 21.09.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।